ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–09/21–22

प्रमोद हेम्ब्रम बनाम् श्रील टुडू

03.02.2023

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदक प्रमोद हेम्ब्रम, पे0–स्व0 बैजल हेम्ब्रम, सा0–बालझखरा, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–बालझखरा नं0–82, जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–168, कुल रकवा–00–00–19 धूर भूमि से विपक्षी श्रील टुडू, पे0–दासो टुडू, सा0–बालझखरा, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा अपने पत्रांक–423/रा0, दिनांक–30.09.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया तथा उभय पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षीगण का कोई संबंध नहीं रहने के कारण विपक्षीगण का अवैध दखल कब्जा प्रतीत होता है। अतः विपक्षीगण को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

03.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

03.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.10 15:37:20 +05:30
Location: 192.168.223.157

Scanned with OKEN Scanner